FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलेक्टर SDO मुकाम चाकसू

[illegible] बनाम [illegible]

किस्म मुकदमा [illegible] नं. 182/21 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29/6/21	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री जगदीश गोदारा ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 16/08/21 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) चाकसू	
16/08/2021	प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस तामील हेतु तामील किया। इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक 05/10/2021 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) चाकसू	
05/10/2021	प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस पूर्व में तामील हुआ प्राप्त हो चुके हैं जो शामिल पत्रावली [illegible] विपक्षीगण नायब [illegible] पीठासीन अधिकारी [illegible] माह [illegible] 2021 में [illegible] होकर आगामी दिनांक 02/12/2021 को पेश हो। [signature]	

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:18:12 IST
Reason: SelfAttested

02/12/2021

पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021, कैम्प ग्राम पंचायत कुडी की ढाणी में रखी गई। प्रार्थी वकील उपस्थित / विप्रार्थीगण अनुपस्थित / प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया की प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेंग सेंग आये हुए है। प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के खेतों के मध्य जो पुरानी मेंढ व डोळे आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये है। जिस कारण प्रार्थी को अपने खेत के सीमाओं का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है। खेत के सेंढे को लेकर प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के मध्य हमेशा तनाजा बना रहता है। प्रार्थी को अपने खेत के सेंढो का सही ज्ञान करने हेतु पैमाइशबन्दी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का पैमाइशबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर पैमाइशबंदी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का पैमाइशबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी भू-अभिलेख निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की पैमाइशबन्दी मौके पर कमिश्नर शुल्क जमाकराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो. पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

[signature]

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:18:12 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2021 / 1442 दिनांकः– 2/12/21

प्रार्थी **बनाम** **विप्रार्थीगण**

1. लिखमाराम पुत्र खिमाराम
जाति जाट, निवासी जोंगुओं की ढाणी
पटवार मण्डल भीमड़ा
तहसील बायतु (बाड़मेर)

1. कानाराम पुत्र खेमाराम वगैरा 50
जाति जाट, नि. जोंगुओं की ढाणी
पटवार मण्डल भीमड़ा
तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या – 182 / 2021

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा – जोंगुओं की ढाणी, पटवार मण्डल – भीमड़ा, तहसील – बायतु, जिला– बाड़मेर के खेत खसरा नं. 581, 757 / 580, 758 / 580 रकबा क्रमशः 0.0324, 13.0977, 0.3236 हैक्टयर तथा मौजा – रूगोणियों का तला खेत खसरा नं. 594 / 479, 595 / 519 रकबा क्रमशः 0.6877, 4.1502 हैक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशन नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

क्रमांक / वाद / 2021 / 1443-47 दिनांकः– 2/12/21

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1 तहसीलदार बायतु
2 पटवारी हल्का भीमड़ा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3 प्रार्थी श्री लिखमाराम पुत्र खिमाराम
4 विप्रार्थी श्री कानाराम पुत्र खेमाराम वगैरा 50
5 पुलिस थानाधिकारी बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:18:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलक्टर (SDO) बायतु